न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 08/2015
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015/00047

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मालाराम पुत्र आदाराम जाति–जाट, निवासी–मीरपुरा तहसील व जिला–सांचौर		1 प्रेमाराम पुत्र चोथाराम जाति–जाट, निवासी–मीरपुरा 2 पुनमाराम पुत्र सिमरथाराम जाति–जाट, निवासी–छजारा 3 श्रीमती सजी पत्नी प्रेमाराम, जाति–जाट, निवासी–मीरपुरा 4 संगीता नाबालिग का वली पिता गंगा पुत्र राजू, जाति–जाट, निवासी–गुन्दाउ 5 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला–सांचौर

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 24.07.2015

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 5 की और से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 18.10.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम मीरपुरा, पटवार हल्का–गुन्दाउ में खेत खसरा संख्या 306 रकबा 3.23 हैक्टेयर आया हुआ है जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की वर्षो पुरानी रहवासीय ढाणीयां खसरा संख्या 305, 304 आई हुई है। प्रार्थी को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत एवं रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम मीरपुरा के खसरा संख्या 343 रकबा 3.71 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि 13 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। रास्ते हेतु आपसी सहमति से [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' के तहत पेश किया है। अतः राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश [illegible] है कि खसरा संख्या 343 रकबा 3.71 हैक्टेयर किस्म बारानी [illegible] प्रार्थी को रास्ता उपयोग हेतु राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित [illegible]

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 16:40:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा एवं नायब तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 06.10.2015 का गहनता से अध्ययन कर बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में कानुनी प्रावधान है।

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना[illegible] खसरा संख्या 306 रकबा 3.23 हैक्टेयर में पहुंचने हेतु कोई रेकर्डेड मार्ग तो [illegible] है परन्तु नायब तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 06.10.2015 से [illegible] आवेदित मार्ग जिसकी खसरा संख्या 343 रकबा 3.[illegible] हैक्टेयर 13 फीट चौड़े रास्ते की मांग की गई है। नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 306 में [illegible] के लिए लाल स्याही से दर्शाये स्थान पर मौके पर रास्ता चल रहा है लेकिन यह रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तथा हरे रंग से दर्शाया रास्ता रेकर्ड में दर्ज है। खसरा संख्या 306 के खातेदारों को गांव की मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 16:40:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

आबादी में आने के लिए लाल व हरे रंग से दर्शाये स्थान से आना जाना पड़ता है। जबकि नया प्रस्तावित रास्ता नजदीक एवं सुविधाजनक है। मौके पर लाल व हरे रंग से दर्शाये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आसमानी रंग से दर्शाया गया है जो निकटतम एवं सुविधाजनक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि मौजा मीरपुरा, पटवार मण्डल–गुन्दाउ के खसरा संख्या 343 रकबा 3.71 हैक्टेयर में से नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तावित 13 फीट चौड़े भाग की खातेदार की अभिघृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। नायब तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम मीरपुरा के खसरा संख्या 343 रकबा 3.71 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर 13 फीट चौड़ा रास्ते हेतु भूमि खातेदार की अभिघृति निर्वापित करते हुए इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (i) (ii) (क) के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 343 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावें।

प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार/वारिसान राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 16:40:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner